न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोट ग्राम पंचायत : जोधूला, **कैम्प दिनांक 06.06.2018**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 26/2017 **दायर तारीख :–** 06-04-2017

1. साधूराम दत्तक पुत्र धन्नाराम
2. तीजा देवी } पुत्री धन्नाराम
3. गुल्ली देवी }
4. सूण्डाराम }
5. भोमराज } पुत्रान बिरदाराम
6. पांचूराम }
7. रूघराम }

जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील विराटनगर

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र अर्जुन जाति गुर्जर निवासी जोधूला तहसील विराटनगर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
3. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री राकेशमोहन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री मातादीन शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 06.06.2018

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जोधूला के साबिक खसरा नम्बर 1112 रकबा 10 बिसवा की खातेदारी प्रार्थीगण के बुजुर्ग धन्ना व नाथ्या हिस्सा 1/2 व बिरदा हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 पूर्व खातेदार धन्ना के वारिसान है तथा खातेदार नाथ्या के नाऔलाद फौत होने से प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ही नाथ्या व धन्ना के विधिक वारिस है। साबिक खसरा नम्बर 1112 रकबा 10 बिसवा के साबिक सैटिलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 1119 रकबा 10 बिसवा बनाये गये तथा बिना किसी आदेश के तथा मौके व राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर खसरा नम्बर 1119 की खातेदारी दीगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व्यक्ति धन्ना, भगवाना, अर्जुन के नाम दर्ज कर दी, जबकि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के बुजुर्गो का कब्जा काश्त रहा है। हाल सैटिलमेंट में साबिक खसरा नम्बर 1119 रकबा 10 बिसवा के हाल खसरा नम्बर 1074/0.13 हैक्टेयर बनाये जाकर खातेदारी रामकरण पुत्र अर्जुन के नाम दर्ज रिकार्ड की गई, जबकि साबिक सैटिलमेंट से प्रार्थीगण के बुजुर्गो का कब्जा काश्त रहा है। यदि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी का नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए आराजी मुतनाजा का विक्रय रहन किया जाता है, तो प्रार्थीगण के हक अधिकारों का हनन होगा। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1074/0.13 हैक्टेयर ग्राम जोधूला से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करें, आराजी को रहन बय हस्तान्तरण नहीं करें। प्रार्थीगण को पूर्व की भांती काबिज रहकर काश्त करने देवें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151सीपीसी व धारा 207 पेश किया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति नकल जमाबन्दी खाता संख्या 133 संवत् 2071–2074, फोटोप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोप्रति जमाबन्दी संवत् 2003, फोटोप्रति खसरा गिरदावरी राज सवाई जयपुर संवत् 2005, 2006, 2007, फोटोप्रति जमाबन्दी मौजा जोधूला सवाई राज जयपुर संवत् 2005, फोटोप्रति मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा जोधूला राज सवाई जयपुर, फोटोप्रति खतौनी बन्दोबस्त सवंत् 2008 लगायत 2027 आदि पेश किये।

4. अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में कथन रहे कि प्रस्तुत वाद वारिसान/उत्तराधिकारी होने के आधार पर दायर किया गया, इस कारण प्रार्थीगण स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित कराये बिना प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। उत्तराधिकार का बिन्दु सिविल कोर्ट द्वारा निर्धारण एवं निर्णित किये जाने योग्य है, उसके अभाव में प्रस्तुत वाद सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत वाद में उत्तराधिकार का बिन्दु जो प्रकरण का मुख्य आधार है तथा उसी पर खातेदार घोषणा का अनुतोष निर्भर करता है। इस प्रकार वाद उत्तराधिकार के मुख्य बिन्दु पर आधार होने तथा इस बाबत राजस्व न्यायालय में वाद वर्जित होने से तथा इसके अतिरिक्त आंशिक रूप से सिविल राइट्स उत्तराधिकार व आंशिक रूप से घोषणा खातेदारी राजस्व न्यायालय में श्रवणाधिकार का होने से प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाये जाने योग्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्यथा सक्षम नयायालय में चाराजोही हेतु वापस लौटाये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज फरमाये जावे अन्यथा सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु वापस लौटाये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जोधूला में पेश हुई। उपस्थित पक्षकार एवं पैरोकार सरकार को मजमा–ए–आम सुना गया ।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा फोटोप्रति जमाबन्दी संवत् 2003, फोटोप्रति खसरा गिरदावरी राज सवाई जयपुर संवत् 2005, 2006, 2007, फोटोप्रति जमाबन्दी मौजा जोधूला सवाई राज जयपुर संवत् 2005, फोटोप्रति मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा जोधूला राज सवाई जयपुर, फोटोप्रति खतौनी बन्दोबस्त सवंत् 2008 लगायत 2027 आदि से पूर्णतः स्पष्ट है कि वाके ग्राम वाके ग्राम जोधूला के साबिक खसरा नम्बर 1112 रकबा 10 बिसवा की खातेदारी प्रार्थीगण के बुजुर्ग धन्ना व नाथ्या हिस्सा 1/2 व बिरदा हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। जहां तक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रश्न है, उसके संबंध में यह कि पूर्व खातेदार नाथ्या पुत्र रतना नाऔलाद फौत हुआ है तथा प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 धन्ना पुत्र रतना के वारिस है तथा प्रार्थी संख्या 4 लगायत 7 बिरदा पुत्र डाला के वारिसान है। प्रार्थी के पूर्वज धन्ना, नाथ्या, व गंगल्या एक पिता रतना के वारिस है। पूर्व खातेदार नाथ्या व गंगल्या के नाऔलाद फौत होने पर प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उनके उत्तराधिकारी स्थापित है, फिर भी मूल वाद में इस संबंध में तनकियात कायम कर न्यायपूर्ण निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। वादी का प्रस्तुत वाद घोषधा खातेदारी से संबंधित है तथा प्रार्थीगण के पूर्वज आराजी मुतनाजा के साबिक सैटिलमेंट के समय रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे है, जो दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व अभिलेख हैं, जिन्हें नकारना न्याय सिद्धान्तों के विपरित होगा। हाल राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज रिकार्ड होने के आधार पर यदि अप्रार्थी आराजी मुतनाजा को किसी प्रकार खुर्द–बुर्द करता है, तो प्रार्थीगण के हक अधिकारों का हनन होगा तथा पक्षकारान के मध्य अनाश्यक मुकद्मेबाजी बढेगी। अतः मूल वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण तक हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 7 नियम 11

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज करते हुए, अप्रार्थीगण को ताफैसला मुलाहद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम जोधूला के खसरा नम्बर 1074/0.13 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें, कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट जोधूला दिनांक 06.06.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर